क्रमांक 1107-3 जी0 एस0 11-72/10292

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा हरियाणा के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दिनांक, चण्डीगढ 19-4-72

विषय :- सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान तथा अन्य सुविधाएं देना।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आप का ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 3442 जी0 एस-11-71, 19169 दिनांक 13-7-71 (प्रति संलग्न है) द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की ओर ध्यान दिलाऊं जिस में यह सूचित किया गया था कि मृत-कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी सेवा दिलाने के प्रश्न पर प्रत्येक केस में अलग अलग, ध्यानपूर्वक, गुणों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और ऐसी नौकरी नियम के तौर पर नहीं दी जानी चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया था कि इस प्रकार के रोजगार की व्यवस्था केवल वर्ग III व IV के पदों तक ही सीमित रहनी चाहिए।

2. सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ केसों में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को मुख्य सचिव हरियाणा (सामान्य सेवाएं II शाखा में) को इस बारे में संदर्भ किए बगैर तदर्थ नौकरी दी गई है। यह प्रथा सरकार के अनुदेशों का उल्लंघन है तथा इस पर घोर आपत्ति उठाई जा सकती है। इस लिये आपसे पुनः अनुरोध है प्रत्येक केस में उपरोक्त पत्र में दी गई हिदायतों का कठोरता से पालन किया जाए।

भवदीय,

हस्ता,-

उप सचिव, सामान्य प्रशासन

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृ0 क्रमांक 1107-3 जी0 एस0 11-72/10293, दिनांक 19-4-72

एक प्रति अध्यक्ष, अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल हरियाणा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है।